प्रतिभूतियों के निर्गम (इश्यु ऑफ सिक्योरिटीज)

आपको क्या करना है

- ✓ प्रॉस्पेक्टस / संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस को पढ़ें और निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दें:
  - ✓ निर्गम (इश्यू) से जुड़े जोखिम
  - ✓ चल रही मुकदमेबाज़ियाँ और हुई चूक (डिफॉल्ट), यदि कोई हो
  - ✓ निर्गमकर्ता (इश्यूअर) की वित्त संबंधी जानकारी
  - ✓ निर्गम का उद्देश्य
  - ✓ कंपनी का इतिहास
  - ✓ संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) की पृष्ठभूमि
  - ✓ आवदेन करने से पहले के अनुदेश
- ✓ कोई शंका/समस्या होने पर उस अनुपालना अधिकारी (कम्प्लायंस ऑफिसर) से संपर्क करें, जिसका नाम प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डाक्यूमेण्ट) में दिया गया हो।
- ✓ यदि आपको भौतिक (कागज़ी) रूप में प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होते/ आपके अभौतिक (डीमैट) खाते में जमा नहीं आ जाती या आपको आवेदन की धनराशि वापस नहीं मिलती, तो आप प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित अनुसार, निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी के अनुपालना अधिकारी और निर्गमोत्तर अग्रणी प्रबंधक (पोस्ट इश्यू लीड मैनेजर) के पास अपनी शिकायत दर्ज़ करें।

आपको क्या नहीं करना है

- × बाजार की अफवाहों के शिकार न बनें।
- × निर्गमकर्ता या किसी और द्वारा किये गये वायदों के झाँसे में न आयें, फिर भले ही ये वायदे खुलकर ही क्यों न किये गये हों।
- × उसी उद्योग की अन्य कंपनियों / निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी के बाजार सूचकांक (इंडेक्स) / की स्क्रिपों के तेजड़िया रुख के आधार पर निवेश न करें।
- × ऐसी उम्मीद न रखें कि निर्गमकर्ता कंपनी के शेयरों के भाव में जल्द ही तेजी आ जायेगी।

व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव) में निवेश

आपको क्या करना है

- ✓ समस्त नियमों, विनियमों, उप-विधियों और एक्सचेंजों द्वारा किये गये प्रकटीकरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- ✓ केवल सेबी के पास रजिस्ट्रीकृत व्यापारिक सदस्य (ट्रेडिंग मेम्बर) या एक्सचेंज के पास रजिस्ट्रीकृत व्यापारिक सदस्य (टीएम) के प्राधिकृत व्यक्ति के जरिये ही लेनदेन करें।
- ✓ किसी प्राधिकृत व्यक्ति के साथ लेनदेन करते समय, यह सुनिश्चित करें कि संविदा नोट (कॉण्ट्रेक्ट नोट) प्राधिकृत व्यक्ति के व्यापारिक सदस्य ने ही जारी किया है।
- ✓ किसी प्राधिकृत व्यक्ति के साथ लेनदेन करते समय दलाली/भुगतान/मार्जिन इत्यादि केवल व्यापारिक सदस्य को ही अदा करें।
- ✓ सुनिश्चित करें कि आप किये गये हर लेनदेन के लिए अपने व्यापारिक सदस्य से विधिवत् तौर पर हस्ताक्षरित संविदा नोट प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें खास तौर पर आपकी विशिष्ट ग्राहक पहचान संख्या (यूनिक क्लाइंट आइडी) के साथ-साथ लेनदेन से संबंधित ब्यौरों का उल्लेख रहता है।
- ✓ व्यापारिक सदस्य के पास मार्जिन के तौर पर रखी गयी जमानत (कॉलेटरल) की रसीद प्राप्त कर लें।
- ✓ ग्राहक-व्यापारिक सदस्य करारनामे के ब्यौरे ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- ✓ अपने और व्यापारिक सदस्य / समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेम्बर) के अधिकारों और कर्तव्यों को जानें।
- ✓ बाजार में अपनी स्थितियों (पोजिशन) से जुड़े जोखिम और उन से संबंधित मार्जिनों के बारे में सजग रहें।
- ✓ आप अपने फ्यूचर्स संबंधी स्थितियों के बारे में बाजारोन्मुख (मार्क टू मार्केट) मार्जिन दैनिक आधार पर अपने व्यापारिक सदस्य से वसूल करें / को अदा करें।

आपको क्या नहीं करना है

- × जोखिम-विवरण दस्तावेजों को बिना पढ़े और बिना समझे लेनदेन शुरू न करें।
- × किसी भी उत्पाद (प्रोडक्ट) से जुड़े जोखिमों और मुनाफों को समझे बिना उसमें लेनदेन न करें।

सामूहिक निवेश स्कीम (सीआईएस)

आपको क्या करना है

- ✓ निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि संस्था (एन्टिटी) सेबी के पास रजिस्ट्रीकृत है।
- ✓ स्कीम के प्रस्ताव दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें, खासकर जोखिम से जुड़े पहलुओं को।
- ✓ देखें कि परियोजना (प्रोजेक्ट) आर्थिक दृष्टि से कितनी लाभप्रद है।
- ✓ संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) की पृष्ठभूमि / विशेषज्ञता को जानें और परखें।
- ✓ सुनिश्चित करें कि संस्था की संपत्ति / आस्तियों (एसेट्स्) का हक (टाइटल) स्पष्ट है और बेचने योग्य है।
- ✓ सुनिश्चित करें कि सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी के पास स्कीम को चलाने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ मौजूद हैं।
- ✓ स्कीम के साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) को और रेटिंग की अवधि को जानें।
- ✓ स्कीम के मूल्यांकन को समझें और संक्षिप्त मूल्यांकन रिपोर्ट को पढ़ें।
- ✓ स्कीम के उद्देश्यों को बड़े ध्यान से पढ़ें।
- ✓ प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्युमेण्ट) में उल्लिखित पिछली स्कीमों के वायदों और उनके कार्यनिष्पादन की तुलना करें।
- ✓ सुनिश्चित करें कि सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी (सी.आई.एम.सी.) वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से दो महीनों के भीतर वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत कर दे ।
- ✓ ध्यान रखें कि सेबी निवेशकों को धन की चुकौती की गारंटी या वचन नहीं दे सकता है।

आपको क्या नहीं करना है

- × सामूहिक निवेश स्कीम की ऐसी किसी भी संस्था (एन्टिटी) में निवेश न करें जो सेबी के पास रजिस्ट्रीकृत न हो ।
- × ऐसे मुनाफों पर ध्यान न दें, जिनकी महज उम्मीद हो ।
- × बाजार अफवाहों के आधार पर निवेश न करें।

दलाल और उप-दलाल के साथ लेनदेन

आपको क्या करना है

- ✓ केवल उन्हीं मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरी) के साथ लेनदेन करें जो सेबी में रजिस्ट्रीकृत हों।
- ✓ सुनिश्चित करें कि मध्यवर्ती के पास विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हो।
- ✓ सुनिश्चित करें कि मध्यवर्ती को बाजार में लेनदेन करने की अनुमति हो।
- ✓ स्पष्ट उल्लेख करें कि आपकी ओर से आदेश (ऑर्डर) कौन देगा।
- ✓ लेनदेन शुरू किये जाने से पहले मध्यवर्ती से ग्राहक रजिस्ट्रीकरण फॉर्म पर हस्ताक्षर जरूर करा लें ।
- ✓ अपने दलाल या उप-दलाल के साथ एक करार (एग्रीमेण्ट) करें जिसके अंतर्गत निबंधन और शर्तों का स्पष्ट उल्लेख हो ।
- ✓ प्रति दिन होनेवाले लेनदेनों हेतु संविदा नोट (कॉन्ट्रेक्ट नोट) / पुष्टि-ज्ञापन (कंफर्मेशन मेमो) जरूर प्राप्त कर लें ।
- ✓ प्रत्येक निपटान (सेटलमेण्ट) के लिए बिल जरूर प्राप्त कर लें ।
- ✓ सुनिश्चित करें कि संविदा नोट में दलाल का नाम, लेनदेन का समय एवं संख्या, लेनदेन का भाव और दलाली का सुस्पष्ट उल्लेख हो ।
- ✓ समय-समय पर लेखा-विवरण जरूर प्राप्त करते रहें ।
- ✓ चेक / ड्राफ्ट केवल मध्यवर्ती के व्यापारिक नाम (ट्रेड नेम) में ही जारी करें।
- ✓ सुनिश्चित करें कि भुगतान किये जाने के 48 घंटों के भीतर भुगतान की रसीद मिल जाये / सुपुर्दगी (डिलीवरी) हो जाये ।
- ✓ विवाद होने की दशा में, मुनासिब समय के भीतर मध्यवर्ती / स्टॉक एक्सचेंज / सेबी में लिखित शिकायत दर्ज करायें ।
- ✓ उप-दलाल के मामले में होनेवाले विवादों की सूचना मुख्य दलाल को 6 महीनों के भीतर दे दें।
- ✓ आप कोई भी लेनदेन करने से पहले नियमों, विनियमों और स्टॉक एक्सचेंजों / सेबी द्वारा जारी परिपत्रों से परिचित रहें ।

आपको क्या नहीं करना है

- × ऐसे मध्यवर्तियों के साथ लेनदेन न करें, जो रजिस्ट्रीकृत न हों।
- × मध्यवर्ती को अनुमोदित (एप्रूव्ड) दलाली से ज्यादा दलाली अदा न करें।
- × दूसरों के लिए लेनदेन न करें।
- × फोन के जरिये ऊँचे भाव पर दिये गये आदेशों (ऑर्डर) को लिखित रूप देना न भूलें ।
- × प्रतिभूति (सिक्योरिटी) की भुगतान-संबंधी बाध्यता को पूरा करते समय सुपुर्दगी अनुदेश पर्ची/पर्चियों (डी.आई.एस.) को भरे बिना उस/उन पर हस्ताक्षर न करें।
- × संविदा नोट / पुष्टि-ज्ञापन को बिना हस्ताक्षर के / की दूसरी प्रति स्वीकार न करें।
- × ऐसा संविदा नोट / पुष्टि-ज्ञापन स्वीकार न करें जिस पर किसी अप्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हों ।
- × दलाल / उप-दलाल को प्रतिभूतियों का भुगतान / की सुपुर्दगी करने में देरी न करें।
- × प्रलोभन देनेवाले किसी भी विज्ञापन के झाँसे में न आयें।
- × बाजार अफवाहों पर ध्यान न दें या संदिग्ध लेनदेन न करें।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(www.sebi.gov.in)

(http://investor.sebi.gov.in)

द्वारा लोक हित में जारी

निवेशक सहायता एवं शिक्षण कार्यालय

एक्सचेंज प्लाज़ा

सी-1, ब्लॉक-जी, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स

मुंबई - 400 051

दावात्याग : इस जानकारी का संकलन इस प्रकार किया गया है कि पाठक मोटे तौर पर विषय को समझ सके और यह जानकारी साधारण स्वरूप की है । इस जानकारी की विषय-वस्तु का तात्पर्य अधिनियमों, परिपत्रों, नियमों, विनियमों तथा मार्गदर्शक सिद्धाँतों को स्पष्ट करना अथवा इनकी व्याख्या करना नहीं है ।

पारस्परिक निधियों (म्युचुअल फंड) में निवेश

आपको क्या करना है

- ✓ निवेश करने से पहले प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉकुमेण्ट) को बड़े ध्यान से पढ़ें ।
- ✓ ध्यान रखें कि पारस्परिक निधियों (म्युचुअल फण्ड) में निवेश करने में जोखिम भी हो सकता है ।
- ✓ आवेदन-पत्र में अपने बैंक की खाता संख्या का उल्लेख करें ।
- ✓ निवेश करने के अपने उद्देश्य और जोखिम उठाने की अपनी क्षमता के मुताबिक ही किसी स्कीम में निवेश करें ।
- ✓ ध्यान रखें कि स्कीम का शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) बाजार की दशाओं के मुताबिक बदलता रहता है ।
- ✓ निवेश करने से पहले प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉकुमेण्ट) / मूल सूचना-ज्ञापन (की इन्फॉर्मेशन मेमोरंडम) की प्रति जरूर प्राप्त कर लें ।
- ✓ ध्यान रखें कि किसी स्कीम का पिछला कार्यनिष्पादन उसके भावी कार्यनिष्पादन का सूचक नहीं होता है ।
- ✓ स्कीम का पिछला कार्यनिष्पादन भविष्य में बना रह भी सकता है और नहीं भी ।
- ✓ आपने जिस स्कीम में निवेश किया हो, आप उसके शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) पर लगातार नज़र रखें ।
- ✓ सुनिश्चित करें कि आपको निवेश की गयी रकम का खाता-विवरण प्राप्त हो जाये।
- ✓ स्कीम के कार्यनिष्पादन के सिलसिले में लगातार नवीनतम जानकारी प्राप्त करते रहें ।

आपको क्या नहीं करना है

- × महज इस वजह से ही किसी स्कीम में निवेश न करें कि आपको कोई व्यक्ति इसके लिए कोई कमीशन या अन्य प्रलोभन, उपहार आदि दे रहा है ।
- × स्कीम / पारस्परिक निधि के नाम पर मत जायें ।
- × मुनाफों को लेकर किये गये झूठे वायदों के ढकोसले में न आयें ।
- × निवेश में निहित जोखिमों को अनदेखा न करें ।
- × कोई समस्या आने पर संबद्ध व्यक्तियों और समुचित प्राधिकरणों (एथॉरिटीज़) से संपर्क करने में हिचकिचायें नहीं ।
- × किसी ऐसे एजेंट / दलाल व्यापारी के साथ लेनदेन न करें जो भारतीय पारस्परिक निधि संघ (ए.एम.एफ.आई.) के पास रजिस्ट्रीकृत न हो ।

प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय बैक)

आपको क्या करना है

- ✓ क्रय द्वारा वापस लेने (बाय बैक) के प्रस्ताव से संबंधित विशेष-संकल्प को विस्तार से पढ़ें और तब वोट दें ।
- ✓ क्रय द्वारा वापस लेने हेतु प्रस्तवित कीमत की तुलना - पिछले चंद महीनों के दौरान बाजार के भाव, प्रति शेयर आमदनी, बही मूल्य (बुक वेल्यु) आदि से करें ।
- ✓ देखें कि जिस भाव का प्रस्ताव किया गया है क्या वह मुनासिब है ।
- ✓ शेयरों के प्रस्ताव हेतु आवेदन करने के लिए दिये गये अनुदेशों को बड़े ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें ।
- ✓ सुनिश्चित करें कि आपका आवेदन-पत्र संग्रहण-केंद्र में समय पर ही पहुंच जाये ।
- ✓ यदि आपको उचित अवधि के भीतर प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) न मिले, तो मर्चेंट बैंकर से संपर्क करें ।
- ✓ प्रस्ताव-पत्र में समस्त अपेक्षित ब्यौरों का उल्लेख स्पष्ट अक्षरों में करें ।
- ✓ प्रस्ताव-पत्र में मांगे गये समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करें ।
- ✓ प्रस्ताव-पत्र में निर्धारित रीति (डाक / कूरियर / हस्त-सुपुर्दगी (हैंड डिलिवरी) / साधारण डाक आदि) के माध्यम से आवेदन भेजें ।
- ✓ निर्धारित समय के भीतर प्रस्तावित शेयरों के सिलसिले में कंपनी / मर्चेंट बैंकर की ओर से कोई जवाब न मिलने पर मर्चेंट बैंकर से संपर्क करें ।
- ✓ कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत होने पर प्रस्ताव-पत्र में उल्लिखित अनुपालना अधिकारी (कम्पलायन्स ऑफिसर) से संपर्क करें ।
- ✓ यदि आपको ऐसा लगे कि कंपनी अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है, तो कंपनी रजिस्ट्रार से संपर्क करें ।
- ✓ क्रय द्वारा वापस लेने (बाय बैक) के संबंध में अपनायी गयी प्रक्रिया के सिलसिले में कोई शिकायत होने पर मर्चेंट बैंकर से संपर्क करें ।

आपको क्या नहीं करना है

- × एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत न करें ।
- × आवेदन-पत्र को स्पष्ट अक्षरों में भरना न भूलें ।
- × आवेदन-पत्र को किसी भी तरह से खराब न करें ।
- × आवेदन-पत्र में कोई काट-कूट न करें ।
- × गलत पते पर आवेदन-पत्र न भेजें ।
- × प्रस्ताव के बंद होने के बाद आवेदन-पत्र न भेजें ।
- × आवेदन-पत्र में पूरी जानकारी देना न भूलें ।
- × आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर करना न भूलें ।
- × आवेदन-पत्र में गलत / असंगत जानकारी न दें ।

अधिग्रहण (टेकओवर) विनियमों के अधीन खुला प्रस्ताव (ओपन ऑफर)

आपको क्या करना है

- ✓ सुनिश्चित करें कि आपको प्रस्ताव के सिलसिले में कोई फैसला लेने से पहले समस्त प्रतियोगी प्रस्तावों (कॉम्पीटीटिव ऑफर) और प्रस्ताव में हुए बदलावों की जानकारी हो ।
- ✓ प्रतियोगी प्रस्तावों या प्रस्तावों में हुए बदलावों की विस्तृत जानकारी के लिए राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र / सेबी का वेबसाइट देखते रहें ।
- ✓ ध्यान रखें कि यदि प्रस्ताव-पत्र में किसी कानूनी मंजूरी का जिक्र हो तो यह मंजूरी के बाद ही मान्य होगा ।
- ✓ देखें कि प्रस्ताव (ऑफर) से कहीं कंपनी असूचीबद्ध (डीलिस्ट) तो नहीं हो जायेगी ।
- ✓ अभौतिक (गैरकागज़ी) इक्विटी शेयरों के मामले में यह सुनिश्चित करें कि प्रस्ताव के बंद होने से पहले विशेष-निक्षेपागार-खाते (स्पेशल डिपॉजिटरी एकाउंट) में जमा आ जाये।
- ✓ प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में उल्लिखित दस्तावेजों की हस्त-सुपुर्दगी (हैंड डिलिवरी) के समय / दिन को बड़े ध्यान से नोट करें ।
- ✓ प्रस्ताव किये जाने से पहले, संशोधित प्रस्ताव (ऑफर रिवीजन) के लिए, अंतिम तारीख तक इंतजार करें (यानी कि प्रस्ताव के बंद होने की तारीख से 7 कार्यदिवस पहले) ।
- ✓ यदि आप शेयरों के प्रस्ताव को वापस लेना चाहते हैं, तो आप प्रस्ताव के बंद होने की तारीख से 3 कार्यदिवस पहले तक किसी निर्धारित संग्रहण-केंद्र पर प्रस्ताव-पत्र के साथ प्रस्ताव को वापस लेने के लिए भरा जानेवाला फॉर्म जमा कर दें ।
- ✓ सुनिश्चित करें कि स्वीकृति के फॉर्म (एक्सेपटेंस फॉर्म), अंतरण-विलेख (ट्रांसफर डीड), निक्षेपागार अनुदेश (डिपॉजिटरी इन्स्ट्रक्शन) और प्रस्ताव को वापस लेने के लिए भरे जानेवाले फॉर्म पर सही जगह हस्ताक्षर किये गये हों और वे कंपनी के रिकॉर्ड से मेल खाते हों ।
- ✓ प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉकुमेण्ट) प्राप्त न होने की दशा में, आप आवश्यक ब्यौरे देते हुए सादे कागज़ पर आवेदन करते हुए प्रस्ताव कर सकते हैं या इसे वापस ले सकते हैं ।

आपको क्या नहीं करना है

- × अपने प्रस्ताव के सिलसिले में प्रस्ताव के बंद होने की अंतिम तारीख तक इंतजार न करें।
- × भेजे जाने वाले अंतरण विलेख (ट्रांसफर डीड) में खरीददार / अंतरिती (ट्रांसफरी) के ब्यौरे विस्तार से न दें ।
- × आधा-अधूरा आवेदन-पत्र / अमान्य दस्तावेज जमा न करें ।

प्रतिभूतियों में लेनदेन

आपको क्या करना है

- ✓ केवल स्टाक एक्सचेंजों के जरिये ही लेनदेन करें।
- ✓ केवल उन्हीं मध्यवर्तियों के जरिये लेनदेन करें, जो सेबी में रजिस्ट्रीकृत हों।
- ✓ खाता खोलने के लिए अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं को भलीभाँति पूरा कर लें (ग्राहक रजिस्ट्रीकरण, ग्राहक करार (एग्रीमेण्ट) फॉर्म इत्यादि)।
- ✓ 'अपने ग्राहक को जानें संबंधी करारनामे' (नो युअर क्लाइंट एग्रीमेण्ट) की मांग करें और उस पर हस्ताक्षर करें।
- ✓ लेनदेन करने से पहले प्रतिभूतियों(सिक्योरिटीज) / व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव) में निवेश करने से जुड़े जोखिमों को पढ़ें और उन्हें भलीभाँति समझ लें।
- ✓ निवेश के सिलसिले में अपना फैसला लेने से पहले निवेश से जुड़े जोखिमों तथा मुनाफों और साथ ही इसकी अर्थसुलभता (लिक्विडिटी) तथा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं का भी मूल्याँकन करें।
- ✓ लेनदेन करने से पहले अपने दलाल से लेनदेन से जुड़े समस्त सवालात कर लें और अपने सभी शक दूर कर लें।
- ✓ सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध और समस्त मूलभूत जानकारी पर विचार करने के बाद ही सोच-समझकर निवेश करें।
- ✓ अपने दलाल / उप-दलाल / निक्षेपागार सहभागी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेण्ट) को स्पष्ट अनुदेश दें।
- ✓ अपने लेनदेनों के प्रति सजग रहें।
- ✓ अपने लेनदेन के लिए संविदा नोट (कॉन्ट्रेक्ट नोट) जरूर प्राप्त कर लें।
- ✓ संविदा नोट प्राप्त करते ही उसमें उल्लिखित समस्त ब्यौरों का सत्यापन करें।
- ✓ अपने लेनदेन से संबंधित ब्यौरों को एक्सचेंज के वेबसाइट पर उपलब्ध ब्यौरों से मिलायें।
- ✓ अपने निक्षेपागार सहभागी से प्राप्त होनेवाले लेनदेन संबंधी और धारिता (होल्डिंग) संबंधी दोनों विवरणों की बारीकी से जाँच करें।
- ✓ अपने निवेश से संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रतियाँ अपने पास रखें।
- ✓ निक्षेपागार सहभागी द्वारा जारी की गयी सुपुर्दगी अनुदेश पर्ची (डी.आई.एस.) पुस्तिका को बड़े संभालकर रखें / बरतें।
- ✓ इस बात पर खास ध्यान दें कि सुपुर्दगी अनुदेश पर्ची की संख्याएँ पहले से छपी हों और आपके खाता संख्या (ग्राहक पहचान कोड) की मोहर पहले से लगी हो।
- ✓ यदि आप अक्सर लेनदेन नहीं करते हैं तो आप अपने अभौतिक खाते (डीमैट एकाउंट) के लिए उपलब्ध करायी गयी फ्रीजिंग की सुविधा का उपयोग करें ।
- ✓ अदा किये जाने वाले मार्जिनों का भुगतान निर्धारित समय में करें।
- ✓ बेचने के मामले में शेयरों की सुपुर्दगी और खरीदने के मामले में पैसे का भुगतान निर्धारित समय में करें।
- ✓ साधारण बैंठकों में, या तो स्वयं या परोक्षी (प्रॉक्सी) के माध्यम से, भाग लें और उनमें वोट दें।
- ✓ अपने अधिकारों और अपनी जिम्मेदारियों को जानें।
- ✓ शिकायतों के निवारण के सिलसिले में उचित प्राधिकरणों (एथॉरिटी) से समय पर संपर्क करें।

आपको क्या नहीं करना है

- × बाजार के बाहर प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) में लेनदेन न करें।
- × ऐसे मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरी) के साथ लेनदेन न करें, जो रजिस्ट्रीकृत न हों ।
- × मुनाफों को लेकर किये गये झूठे वायदों के ढकोसले में न आयें ।
- × सुनी-सुनाई बातों और अफवाहों के आधार पर निवेश न करें; निवेश करने से पहले इनका सत्यापन करें।
- × निवेश में निहित जोखिमों को अनदेखा न करें।
- × बाजार में फैली अफवाहों की वजह से गुमराह न हों।
- × व्यापार की मात्राओं या भावों में आये सहसा उछाल या अप्रमाणिक पक्षपाती प्रतीत होनेवाले लेखों / किस्सों पर भरोसा करके ऐसी कंपनियों (छुटपुट स्टॉक) में अपना पैसा न लगायें जो बुनियादी तौर पर मजबूत न हो।
- × दुनिया की देखादेखी न करें या कोई जल्दबाजी न करें ; अन्यथा ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है।
- × गरमागरम खबरों से गुमराह न हों ।
- × वक्त को लेकर बाजार के बारे में अंदाजे लगाने की कोशिश न करें।
- × अपनी शंकाओं / शिकायतों के समाधान के लिए समुचित प्राधिकरणों (एथॉरिटीज़) से संपर्क करने में हिचकिचायें नहीं।
- × अपने अभौतिक (डीमैट) खाते की सुपुर्दगी अनुदेश पर्चियों को बिना भरे उन पर हस्ताक्षर करके लापरवाही से कहीं भी इधर-उधर या किसी और के पास न छोड़ें ।
- × सुपुर्दगी अनुदेश पर्चियों (डी.आई.एस.) को बिना भरे उन पर हस्ताक्षर न करें और फिर समय बचाने के लिए इन्हें निक्षेपागार सहभागी (डी.पी.) या दलाल के पास न रखें। याद रहे कि आपकी लापरवाही आपको जोखिम में डाल सकती है।

Hindi

प्रतिभूतियों के निर्गम
(इश्यु ऑफ सिक्योरिटीज)

व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव) में निवेश

सामूहिक निवेश स्कीम (सीआईएस)

दलाल और उप-दलाल के साथ लेनदेन

पारस्परिक निधियों (म्युचुअल फंड) में निवेश

प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेने (बाय बैक)

अधिग्रहण (टेकओवर) विनियमों के अधीन खुले प्रस्ताव
(ओपन ऑफर)

प्रतिभूतियों में लेनदेन

के संबंध में

निवेशकों के लिए संदेश